प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त 2026

मार्च 2024 में समाप्त हुई अवधि के लिए संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय – सिविल) पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की मार्च 2024 में समाप्त हुई अवधि के लिए संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय – सिविल) पर 2026 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 आज संसद में पेश की गई।

इस रिपोर्ट में छह मंत्रालयों (यानी वाणिज्य और उद्योग, आवास और शहरी मामले, एमएसएमई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वस्त्र और पर्यटन) और उनके स्वायत्त निकायों से संबंधित 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण पैराग्राफ की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), चेन्नई ने प्राइवेट पार्टियों के नाम चेक जारी किए, जबकि इन पार्टियों से कोई सामान या सर्विस नहीं ली गई थी। इसके कारण ₹21.41 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि का गलत इस्तेमाल हुआ।

(पैरा 2.2)

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) में दरों की सूची (एसओआर) के विश्लेषण' की लेखापरीक्षा से पता चला कि सीपीडब्लूडी ने ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्र-वार एसओआर तैयार नहीं किया था और दिल्ली क्षेत्र के एसओआर में अपनाई गई दरों को यथोचित ठहराने वाले अभिलेख भी नहीं थे। जुलाई 2017 और जुलाई 2024 के बीच दरों की गलत गणना के कारण लागत का अनुमान ज़रूरत से ज़्यादा लगाया गया; इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों की दरों और डीएसआर दरों के बीच अंतर था, जिसमें श्रम घटक का अनुमान भी ज़्यादा लगाया गया था।

(पैरा 3.3)

- दिल्ली में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीडब्लूडी द्वारा किए गए 34 निर्माण कार्यों में से चुने गए नौ कार्यों की लेखापरीक्षा से पता चला कि सीपीडब्लूडी ने चार काम बिना सही विस्तृत अनुमान, ड्राइंग और लेआउट प्लान के ही सौंप दिए थे, जिसके कारण काम के दौरान बदलाव और अतिरिक्त मद जोड़ने पड़े। लेखापरीक्षा में तकनीकी प्रतिनिधियों

की नियुक्ति न होने, दो प्रोजेक्ट में संविदाकारों का बीमा पौलिसियाँ न होने और करारनामे की शर्तों व पर्यावरण कानूनों का पालन न करने जैसी बातें भी सामने आईं।

(पैरा 3.4)

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवासों की योजना, निर्माण और आवंटन की लेखापरीक्षा से पता चला कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को लागू करने में देरी हुई, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान में काफी देरी हुई थी। साथ ही, प्लानिंग भी ठीक नहीं थी — जैसे कि घरों के लक्ष्य और मांग का सर्वे न होना — जिसके कारण बड़ी संख्या में फ्लैट रद्द हुए। लेखापरीक्षा में लागत के अनुमान में कमियां, रिफंड में देरी, बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लैट बेचना, ईडब्लूएस फ्लैटों का गलत वर्गीकरण, बड़ी संख्या में बिना बिके फ्लैटों के कारण निधि का अवरुद्ध होना और राजस्व न मिल पाना, और निगरानी के लिए एक समर्पित सिस्टम न होने के कारण कमजोर निगरानी जैसी कमियां भी पाई गईं।

(पैरा 3.5)

- कॉयर बोर्ड की गतिविधियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने कोई राष्ट्रीय कॉयर नीति नहीं बनाई थी और उसके पास इंडस्ट्री का अपडेटेड डेटाबेस नहीं था। साथ ही, खराब निगरानी, नियमों के उल्लंघन और कम बिक्री वाले नुकसानदेह शोरूमों की वजह से बाज़ार विकास की कोशिशें बेअसर रहीं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नौ शोध परियोजनाएं अधूरी रह गई और 22 पूरी हो चुकी परियोजनाओं का व्यवसायीकरण नहीं किया गया; साथ ही, 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थायी अवसंरचना और उत्पाद विकास के मामले में अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे।

(पैरा 4.1)

- विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (ई-पीएमयूवाई) की लेखापरीक्षा के दौरान योजना को लागू करने में कई बड़ी कमियां पाई गईं। इनमें 4.28 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के मामले में आधार-आधारित डी-डुप्लीकेशन (डुप्लीकेट पहचान की जांच) का ठीक से न होना, ओएमसी द्वारा 1.64 लाख डुप्लीकेट कनेक्शन जारी करना और ऐसे लोगों को 5.50 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन देना जिनके पास पहले से ही नॉन-पीएमयूवाई कनेक्शन थे, शामिल हैं। इसके अलावा, सत्यापन नियंत्रण ठीक से काम न करने के कारण पुरुषों को 2,141 कनेक्शन और अयोग्य लाभार्थियों को 2.61 लाख कनेक्शन जारी कर दिए गए। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 4.07 लाख डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान होने के बावजूद, ओएमसी ने इनमें से केवल 3,315 कनेक्शन ही बंद किए, जो कमजोर निगरानी और नियमों के खराब पालन को दिखाता है।

(पैरा 5.1)

- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत आवंटित निधि का केवल 40 प्रतिशत और एटीयूएफएस के तहत आवंटित निधि का 41 प्रतिशत ही जारी किया गया था। साथ ही, यह योजना रोजगार और निवेश के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में काफी पीछे रह गई। लेखापरीक्षा में सब्सिडी प्रोसेस करने में काफी देरी, आई-टीयूएफएस पोर्टल होने के बावजूद दावों को मैन्युअल रूप से प्रसंस्कृत करने का सिलसिला जारी रहने और सिस्टम से जुड़ी ऐसी समस्याओं का भी पता चला जिन्होंने समय पर और कुशलता से योजना को लागू करने में बाधा डाली।

(पैरा 6.1)

- पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना की लेखापरीक्षा से ₹15.55 करोड़ के अपव्ययी/अनुपयोगी/अनियमित व्यय का पता चला। यह व्यय एक ही जगह पर दो परियोजनाओं को मंज़ूरी देने (जिनमें से एक बाद में बंद कर दी गई), एक परियोजना के पूरा होने के पांच साल बाद भी सुविधाओं के इस्तेमाल न होने और एक ऐसी परियोजना को अनुमोदन देने की वजह से हुआ जो नियमों के तहत अनुमोदित नहीं की जा सकती थी।

(पैरा 7.2)